

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर

क्र. 1579 / एफ-१-१००/३१ / ऐस-२/२०२०,

नवा रायपुर, दिनांक २५/०३/२०२१

प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी काठार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:-

राजनांदगांव जिले के विकासखंड-मोहला की पाउरझोला जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाइनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :-

प्रमुख अभियंता का पत्र क्रमांक-११२/बो.प्र./प्रशा.स्वी./मरोक/२०२०/७४८६,
दिनांक १८.०८.२०२०।

—००—

राज्य शासन एतद् द्वारा राजनांदगांव जिले के विकासखंड-मोहला की पाउरझोला जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाइनिंग कार्य हेतु लागत राशि रु. २५०.७६ लाख (रुपये दो करोड़ पचास लाख छिहत्तर हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

२. प्रस्तावित कार्यों के उपरान्त योजना की रूपाकृति सिंचाई (२८३ हेक्टेयर) में १२० हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा २५ हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सहित कुल ३०८ हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
३. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका २.००६ के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
४. छत्तीसगढ़ वित्तीय सहिता भाग-एक के नियम-१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियन्त्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
५. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-४१ अनुसूचित जनजाति उपयोजना, ४७०२ लघु सिंचाई पर पूँजी परिव्यय, {१०१}-सतही जल, ०१०२ अनुसूचित जनजाति उपयोजना, (३८२८) लघु सिंचाई योजना #९७-निर्माण कार्य-००३ बाध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
६. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश २५/२०१२ अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक १०.०३.२०२१ द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
७. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
८. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
९. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

PMS
२५/०३/२०२१

(प्रेमसिंह घरेन्द)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

(६)